मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय
//सूचना//

भोपाल दिनांक 5/2/2022

क्रमांक. एफ–3–89/2021/18–5 म0प्र0 नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा आयुक्त सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश म.प्र. भोपाल द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 18 (3) सहपठित धारा 23 (1) के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत पुनर्विलोकन नागदा विकास योजना (प्रारूप) 2035 के रंगीन मानचित्र एवं पुस्तिका में नीचे दी गई अनुसूची में यथानिर्दिष्ट उपांतरण प्रस्तावित करती है। उपांतरणों का विस्तृत विवरण बेबसाइड www.mptownplan.gov.in पर उपलब्ध है तथा उनका निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय में अवकाश के दिन छोड़कर सूचना प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस तक की कालवधि में निरीक्षण किया जा सकेगा।

1. अवर सचिव म0प्र0 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, कक्ष कमांक ए 227, वी.बी. 2, द्वितीय तल, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन म.प्र.।
3. कलेक्टर, जिला उज्जैन म.प्र.।
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद नागदा म.प्र.।
5. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन म.प्र.।

अनुसूची

1. **नागदा विकास योजना, (प्रारूप) 2035 के प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र कमांक 4.3 में प्रस्तावित उपांतरण।**

कमांक	ग्राम एवं सर्वे नं.	प्रारूप 2035 में प्रस्तावित उपयोग	धारा 19(2) के तहत प्रस्तावित उपांतरण
1	2	3	4
1	ग्राम नागदा सर्वे नं. 345, 355, 356, 357, 358, 359 एवं 360	आमोद–प्रमोद (वृक्षारोपण)	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शैक्षणिक)
2	ग्राम पाडल्याकला, सर्वे नंबर 1456/2	वाणिज्यिक एवं आमोद–प्रमोद	विकास योजना प्रारूप 2035 में निर्धारित आमोद–प्रमोद के स्थान पर वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक के स्थान पर आमोद–प्रमोद।

2. **नागदा विकास योजना प्रारूप 2035 पुस्तक में उपांतरण संबंधी प्रस्ताव**

2.1 अध्याय 3 की कण्डिका 3.13.8 के पश्चात निम्नानुसार नवीन कण्डिका अंतः स्थापित की जाना प्रस्तावित है।

3.13.9 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. (Liquefied Petroleum Gas) गैस सिलेण्डरों, सी.एन.जी. (Compressed Natural Gas) गैस सिलेण्डरों एवं सी.एन.जी. गैस

60x

पाईप लाईन द्वारा गैस की सप्लाई की जाती है। विकास योजना, 2035 की कालावधि तक सम्पूर्ण क्षेत्र में गैस पाईप लाईन की व्यवस्था की जाना प्रस्तावित है।

अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5–सा–1 मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 4, 10(ब) एवं 11 से 14 के कॉलम क्रमांक 4 में निम्नानुसार मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है।

क्रमांक	मार्गो का नाम	विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
4	चंद्रशेखर आजाद मार्ग	6	12
10	(ब) नाले के आगे	30	30
11	सुभाष मार्ग	6	12
12	पाडलिया मार्ग	9 से 15	18
13	तहसील कार्यालय मार्ग	9 से 12	12
14	कोटा फाटक मार्ग (तहसील कार्यालय से बाईपास तक)	9 से 15	15

2.3 **अध्याय 5 की सारणी क्रमांक 5–सा–1 मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई के क्रमांक 8 के प्रश्चात निम्नानुसार क्रमांक में निम्नलिखित मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई उल्लेखित की जाना प्रस्तावित है।**

क्रमांक	मार्गो का नाम	विकसित क्षेत्र में वर्तमान चौड़ाई मीटर में	प्रस्तावित चौड़ाई मीटर में
1	2	3	4
1	दुर्गापुरा से मेहतवास तक	9 से 12	12
2	औद्योगिक रिंग रोड से दुर्गापुरा तक	12 से 18	18
3	होटल रांगोली से भीमपुरा रोड (निवेश क्षेत्र सीमा तक)	12 से 18	18

2.4 **अध्याय 6 विकास नियमन की कण्डिका 6.9.1 वाणिज्यिक अभिन्यासों के लिए रूपांकन मार्गदर्शिका की सारणी क्रमांक 6–सा–3 के नीचे अंकित टीप–1 एवं 4 को निम्न टीप से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है:–**

1. 18.0 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गो के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा।
   - मार्ग चौड़ाई 18.0 मीटर एवं उससे अधिक – 1:1.75
   - मार्ग चौड़ाई 24.0 मीटर एवं उससे अधिक – 1:2.0

4. 12.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गो पर भवन रेखा निम्नानुसार निर्धारित की जायेंगी।

मार्ग चौड़ाई	भवन रेखा (मार्ग मध्य से)
12.0 मीटर	10.5 मीटर
18.0 मीटर	13.5 मीटर
24.0 मीटर	16.5 मीटर

विकास नियमन की कण्डिका 6.11 सामुदायिक सुविधाओं /सेवाओं/ हेतु नियमन की क्रमांक 6–सा–5 को निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

	श्रेणी	जनसंख्या	प्रति सुविधा के लिए अनुशंसित क्षेत्र (हेक्टयर)	न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)
	2	3	4	5
	शैक्षणिक भवन			
	नर्सरी/पूर्व प्राथमिक शाला	2500–3000	0.08–0.1	12.0
	प्राथमिक विद्यालय	3000–4000	0.40–0.60	12.0
	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	7500–10000	1.60–2.0	12.0
	महाविद्यालय	10000–50000	2.0–4.0	18.0
	स्वास्थ्य			
	सामान्य चिकित्सालय	80000	4.0	18.0
	हेल्थ सेन्टर	15000	0.08 से 2.0	12.0
	नर्सिंग होम	45000	0.2 से 0.5	12.0
	पालीक्लीनिक	1.5 लाख	0.2 से 0.5	12.0
	पेट क्लीनिक	1.5 लाख	0.2 से 0.5	12.0
	वाणिज्यिक सुविधायें जिनमें दुकानों की सुविधा सम्मिलित है।	प्रत्येक 100 की जनसंख्या के लिए 1	0.05 से 0.1	12.0
	संचार सुविधायें तथा अत्यावश्यक सेवायें			
	उप डाकघर	प्रत्येक 10000 पर 1	100 वर्गमीटर	12.0
	डाक और तार कार्यालय	प्रत्येक 10000 पर 1	1.0	12.0
	विद्युत उप केन्द्र	–	12 X 12 मीटर	12.0
	पुलिस चौकी	20000	0.4	12.0
	पुलिस थाना	50000	0.8	12.0
	अग्निशमन केन्द्र	–	0.8	12.0
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाऐं			
	कला विथिका एवं संग्रहालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
	ऑडीटोरियम	2 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	केन्द्रीय पुस्तकालय	नगर स्तरीय	0.5 से 1.0	12.0
5	क्लब	1 से 3 लाख	0.5 से 1.0	12.0
	सामुदायिक कक्ष एवं पुस्तकालय	15000	0.2 से 0.4	12.0
	धार्मिक भवन/धर्मशाला	5000	0.04	12.0
	धार्मिक/आध्यत्मिक केन्द्र	1 से 3 लाख	0.5	12.0
	अन्य			
	दुग्ध वितरण केन्द्र	5000	0.002	12.0
6	तरल पेट्रालियम गैस गोदाम	3 से 5 लाख	0.5 से 0.6	12.0
	टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थल	5 लाख	0.05	12.0
	कब्रिस्तान/श्मशान घाट	1.5 से 2.0	2.0	12.0

नोटः– उपरोक्त कॉलम 4 में वर्णित विभिन्न सुख सुविधाओं के लिए आपेक्षित न्यूनतम भूमि केवल निर्देशात्मक है। भूखण्ड का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किये गये अनुसार होगा।

प्रस्तावित उपांतण के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो, वह अवर सचिव, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग को म.प्र. राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन के भीतर लिखित में प्रस्तुत कर सकेगा एवं ऐसी आपत्तियां या सुझाव जो ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान होने से पूर्व प्राप्त हो राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(डॉ0 शुभाशीष बैनर्जी)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

Anusuchi in v y folderE:\Vikas Yojna\anuxuchi of all v y\all anusucki (Recovered).docx